पत्र संख्याः–6 / योजना–01–07 / 2011 गृ0आ0.............................. /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषय :– **नालन्दा जिलान्तर्गत चेरो ओ0पी0 के भवन निर्माण हेतु भू–अर्जन के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹ 99,90,855 (निन्यानवे लाख नब्बे हजार आठ सौ पचपन रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अतिरिक्त वृद्धित राशि ₹ 74,72,655 (चौहत्तर लाख बहत्तर हजार छह सौ पचपन रू0) मात्र विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–546 / आधु0, दिनांक–26.05.2016 के संबंध में कहना है कि नालन्दा जिलान्तर्गत चेरो ओ0पी0 के भवन निर्माण हेतु मौजा–चेरो, थाना नं0–210, खाता–165, 183, 297, 298, 301 एवं 304 खेसरा–2103, 2123, 2127, 2128, 2129, 2130 एवं 2131 कुल रकवा–1.00 एकड़ भूमि अधिग्रहण अर्जित भूमि के अधिग्रहण हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–220, दिनांक 10.01.2013 द्वारा ₹ 25,18,200 (पच्चीस लाख अठारह हजार दो सौ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए उक्त राशि विमुक्त की गई थी। भू–अर्जन की प्रक्रिया के अन्तर्गत पंचाट घोषित किया जा चुका है। पंचाट के अनुसार उक्त भू–खंड का कुल रकवा–0.98 एकड़ का कुल प्राक्कलित राशि ₹ 99,90,855 (निन्यानवे लाख नब्बे हजार आठ सौ पचपन रू0) मात्र प्रतिवेदित किया गया है।

2. उपर्युक्त के आलोक में नालन्दा जिलान्तर्गत चेरो ओ0पी0 भवन के निर्माण हेतु भू–अर्जन के लिए पंचाट की राशि ₹ 99,90,855 (निन्यानवे लाख नब्बे हजार आठ सौ पचपन रू0) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं अतिरिक्त वृद्धित राशि ₹ 74,72,655 (चौहत्तर लाख बहत्तर हजार छह सौ पचपन रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 74,72,655 (चौहत्तर लाख बहत्तर हजार छह सौ पचपन रू0) मात्र राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–22 के बजट शीर्ष–"4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–050–भूमि उपशीर्ष–0101–थाना / चौकी के भू–अर्जन हेतु" विपत्र कोड–P4055000500101 विषयशीर्ष–53 02–भू–अर्जन एवं राज्य योजना स्कीम कोड–HOM–5419 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबन्धित राशि से विकलनीय होगा।

4. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, नालन्दा होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, नालन्दा से की जायेगी।

5. वित्त विभाग के ज्ञापांक–3687, दिनांक–30.03.2012 के अनुसार विमुक्त राशि व्यक्तिगत जमा खाता (पी0डी0 खाता) में जमा की जायेगी।

6. पंचाटित राशि का मुआवजा भुगतान संबंधित रैयतों को नियमानुसार शीघ्र करना सुनिश्चित किया जाय।

7. राशि की निकासी बिहार कोषागार संहित 2011 का विहित विपत्र पर की जायेगी।

8. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

10. उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र समर्पित किया जायेगा।

11. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

12. स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–6 / योजना–01–07 / 2011 गृ0आ0 के पृ0–92 / टि0 पर दिनांक–23.06.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0:–6 / योजना–01–07 / 2011 गृ0आ0......5183...... / पटना, दिनांक 4/7/16

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालन्दा / पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना / जिला पदाधिकारी, नालन्दा / पुलिस अधीक्षक, नालन्दा / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.7.16

सरकार के प्रधान सचिव